**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1450**

**01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

**ईसीएचएस से पैनलबद्ध अस्पतालों का अलग होना**

**1450. श्री राजीव चन्द्रशेखर :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैनलबद्ध अस्पताल भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना से अलग हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों से अस्पतालों द्वारा अग्रिम भुगतान की मांग करते हुए मरीजों को भर्ती नहीं करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

(क) और (ख): जी, हां । 169 अस्पतालों ने निम्नलिखित कारणों से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर/उसका नवीनीकरण नहीं किया है :-

(i) निम्न सीजीएचएस दरें

(ii) चिकित्सा बिलों के संबंध में ईसीएचएस द्वारा उठाए गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं जिसके फलस्वरूप बिलों का निरस्तीकरण हुआ ।

उपर्युक्त के अलावा, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम एवं मैक्स अस्पताल, दिल्ली ने क्रमशः 01 नवम्बर, 2017 एवं 01 दिसम्बर, 2017 से ईसीएचएस सुविधाएं वापस ले ली हैं । तथापि, मैक्स अस्पताल, दिल्ली द्वारा बाद में 31 दिसम्बर, 2017 तक ईसीएचएस सुविधाएं पुनः शुरू कर दी गईं ।

(ग) और (घ): जी, हां । ऐसी शिकायतों का समाधान/निवारण ईसीएचएस अधिकारियों के हस्तक्षेप द्वारा किया जाता है । ऐसी शिकायत का एक मामला निम्नानुसार है :-

शिकायत आईडी : 17128-892 (ई)

शिकायतकर्ता : राजा संतोष सुपुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल टी. रमन (सेवानिवृत्त), निवासी त्रिचि (तमिलनाडू)

दिनांक : 27 नवम्बर, 2017

विरुद्ध

अस्पताल : ग्लोबल हेल्थ सिटी अस्पताल, चेन्नई

क्षेत्रीय केन्द्र : चेन्नई

पॉलिक्लिनिक : चेन्नई

\*\*\*